

पत्रांक-1/प्रा0आ0-36/2002.1376./आ0प्र0

बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

व्यास जी,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त,
सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार।

पटना-15, दिनांक- 27/4/12

विषय- अग्निकांड आपदा के उपरांत राहत वितरण के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि भारत सरकार, गृह मंत्रालय (आपदा प्रबंधन प्रभाग), लोक नायक भवन, नई दिल्ली के पत्रांक 32-7/2011-एन0डी0एम0-1 दिनांक 16.01.2012 के द्वारा राज्य आपदा रिस्पॉंस कोष तथा राष्ट्रीय आपदा रिस्पॉंस कोष से वर्ष 2010-15 तक के लिए प्राकृतिक आपदा से प्रभावित परिवारों के बीच साहाय्य वितरण हेतु मदों की सूची तथा संशोधित मानदर संसूचित किया गया। इस पत्र के आलोक में दिनांक 19.03.12 को संपन्न राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि नये संशोधित मानदर को 01.04.2012 से राज्य में लागू किया जाय, जो दिनांक 01.04.12 तथा उसके उपरांत हुए प्राकृतिक आपदाओं के लिए लागू होगा। राज्य सरकार की सहमति से राज्य कार्यकारिणी समिति के इस निर्णय के आलोक में नए संशोधित मानदर को विभागीय पत्रांक 1293 दिनांक 17.04.12 द्वारा परिचारित किया गया है।

इसी प्रकार राज्य सरकार की सहमति से राज्य कार्यकारिणी समिति द्वारा संशोधित मानदर के आलोक में मुफ्त साहाय्य के स्केल में परिवर्तन संबंधी निर्णय को विभागीय पत्रांक 1339 दिनांक 20.04.2012 द्वारा परिचारित किया गया है। तदनुसार दिनांक 01.04.12 अथवा उसके उपरांत घटित प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित परिवारों को 30 दिनों के लिए विभागीय मानदर की मद सं0 1 (ड) के अन्तर्गत मुफ्त साहाय्य के रूप में 1(एक) क्वींटल खाद्यान्न (50 कि0ग्रा0 गेहूँ एवं 50 कि0ग्रा0 चावल) तथा 1500/- रुपये नकद अनुदान प्रति

परिवार की दर से भुगतान किया जाएगा। संशोधित मानदर की मद सं० 1 (घ) आलोक में जिन परिवारों के वस्त्र एवं बर्तन/घरेलु सामान नष्ट हो गये हैं उन्हें वस्त्र के लिए 1300/- रुपये प्रति परिवार तथा बर्तन/घरेलु सामान के लिए 1400/- रुपये प्रति परिवार की दर से साहाय्य अनुमान्य है।

अतएव नए संशोधित मानदर के अनुसार अग्निकांड आपदा के कारण जिन परिवारों के खाद्यान्न एवं वस्त्र, बर्तन/घरेलु सामान नष्ट हो गये हैं, उन परिवारों को राहत हेतु 1 क्वींटल खाद्यान्न (50 किलोग्राम गेहूँ एवं 50 किलोग्राम चावल) तथा 4200/- रुपये नगद (1400/- रुपये बर्तन/घरेलु सामान के लिए, 1300/- रुपये वस्त्र के लिए एवं 1500/- रुपये नगद अनुदान) प्रति परिवार की दर से भुगतान किया जायेगा।

पूर्व में एतद् संबंधी विभागीय पत्रांक-157 (प्र०) दिनांक- 24.04.2009 को इस हद तक संशोधित समझा जाय।

विश्वासभाजन

Anuraj
(व्यास जी)

प्रधान सचिव

ज्ञापांक 1376/आ०प्र०

पटना-15, दिनांक- 27/4/12

प्रतिलिपि: महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

Anuraj
प्रधान सचिव

ज्ञापांक 1376/आ०प्र०

पटना-15, दिनांक-27/4/12

प्रतिलिपि: सभी विभागीय प्रधान सचिव/ सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

Anuraj
प्रधान सचिव

ज्ञापांक 1376/आ०प्र०

पटना-15, दिनांक-27/4/12


प्रतिलिपि: मुख्य सचिव/ विकास आयुक्त / प्रधान सचिव, वित्त विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

Anuraj
प्रधान सचिव

ज्ञापांक 1376/आ0प्र0

पटना-15, दिनांक- 27/4/12


प्रतिलिपि: निदेशक (डी0एम0-1), भारत सरकार, गृह मंत्रालय (आपदा प्रबंधन डिविजन)
लोक नायक भवन, नई दिल्ली को सूचनार्थ प्रेषित।


प्रधान सचिव

ज्ञापांक 1376/आ0प्र0

पटना-15, दिनांक- 27/4/12


प्रतिलिपि: उपाध्यक्ष, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, पंत भवन, बेली रोड, पटना
को सूचनार्थ प्रेषित।


प्रधान सचिव

ज्ञापांक 1376/आ0प्र0

पटना-15, दिनांक- 27/4/12

प्रतिलिपि: मुख्य मंत्री के सचिव/ उप मुख्य मंत्री के आप्त सचिव/ मंत्री, आपदा
प्रबंधन विभाग, बिहार के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।


प्रधान सचिव